

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली हाल घासा।

.....वादी

बनाम

1. श्री हरिराम पिता गुलाबचन्द जाति अग्रवाल निवासी उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 169/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00372

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा विपक्षी काश्तकार को इस आशय से पाबंद किया जाता है कि उक्त वादवर्णित आराजीयात में कोई गैर कृषि कार्य व खनन कार्य नहीं करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

